FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम26)

अज अदालत सहायक कलक्टर लूणी मुकाम उपखण्ड अधिकारी लूणी

बलाराम बनाम कानाराम वगैरा सन्

किस्म मुकदमा 75 नं. 3/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10/7/2024	पत्राववली पेश हुई। अपील मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण अधिवक्ता द्वारा धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। जो निम्नानुसार है अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस मे यह बताया की नामान्तकरण संख्या 320 जो ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत पीपरली द्वारा स्वीकृत किया है। जिसमे बींजाराम के वारिसानो की कोई जॉच नही की गई है अपीलान्ट के पिता रूपाराम जायन्दा पुत्र है अपीलान्ट के पिता को नामान्तकरण स्वीकृत करते समय कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नही दिया है इस कारण ऐसा आदेश एब इश्यू वाईड आदेश है जिसमे न्याय का बिन्दु लागु नही होता है ऐसी स्थिति मे उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि अपीलान्ट के पिता को म्यूटेशन स्वीकृत होने की जानकारी शुरू से थी अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवन काल मे कोई उजर व एतराज नही किया है। अब करीब 40 साल बाद अपील पेश की है तथा अपनी बहस जारी रखते हुए यह भी बताया की अपीलान्ट के पिता के हक मे खसरा स. 109 की भुमि दर्ज करवा दी गयी थी इस कारण शेष खसरा स. 26, 246 व 248 मे रूपाराम का नाम दर्ज नही किया था क्योकी रूपाराम की पूर्ण सहमती थी ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील खारीज किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया दोनो अधिवक्ता की बहस पर मनन किया की अपीलान्ट के पिता रूपाराम ने अपने जीवन काल मे उक्त म्यूटेशन का कोई उजर व एतराज नही किया तथा उनकी स्वय की सहमति थी। अब करीब 40 साल बाद उसके पुत्र ने उक्त म्यूटेशन की अपील पेश की है विलम्ब के लिये कोई सन्तोषप्रद कारण नही बताया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के बिन्दु पर ही खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	